# मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना 2023

सशक्त महिला, सशक्त परिवार, सशक्त समाज, सशक्त प्रदेश, सशक्त देश

**03-03-2023**

## महिला एवं बाल विकास विभाग,
## मध्यप्रदेश

# योजना का स्वरूप

# योजना के उद्देश्य

## सशक्त महिला, सशक्त परिवार, सशक्त समाज, सशक्त प्रदेश, सशक्त देश

महिलाओं के स्वावलम्बन एवं उनके आश्रित बच्चों के स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर में सतत सुधार को बनाये रखना

महिलाओं को आर्थिक रूप अधिक स्वावलम्बी बनाना

परिवार स्तर पर निर्णय लिये जाने में महिलाओं की प्रभावी भूमिका को प्रोत्साहित करना

# पात्रता

मध्यप्रदेश की स्थानीय निवासी हो (SAMAGRA)

विवाहित -विधवा, तलाकशुदा ,परित्यक्ता सम्मिलित

कैलेण्डर वर्ष में 1 जनवरी की स्थिति में 23 वर्ष पूर्ण कर चुकी हों तथा 60 वर्ष की आयु से कम हो

# अपात्रता

## परिवार की सम्मिलित रूप से-

स्वघोषित वार्षिक आय 2.5 लाख से अधिक हो

कोई भी सदस्य आयकरदाता हो

भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के शासकीय विभाग/ उपक्रम/ मण्डल/ स्थानीय निकाय में नियमित/स्थाईकर्मी/संविदाकर्मी के रूप में नियोजित हो अथवा सेवानिवृत्ति उपरांत पेंशन/ फॅमिली पेंशन प्राप्त कर रहा हो।

जो स्वयं भारत सरकार/ राज्य सरकार की किसी भी योजना अंतर्गत प्रतिमाह राशि रूपये 1000/- या उससे अधिक की राशि प्राप्त कर रही है

कोई सदस्य वर्तमान अथवा भूतपूर्व सांसद/ विधायक हो

कोई सदस्य भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के द्वारा चयनित/ मनोनित, बोर्ड/ निगम/ मण्डल/ उपक्रम के अध्यक्ष/ संचालक/ सदस्य हो

कोई सदस्य स्थानीय निकायों में निर्वाचित जनप्रतिनिधि (पंच एवं उपसरपंच को छोडकर) हो

संयुक्त रूप से कुल पॉच एकड़ से अधिक कृषि भूमि हो

पंजीकृत चार पहिया वाहन (ट्रैक्टर सहित) हो

# आवेदन पत्र एवं पावती

## मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना – 2023

### आवेदन हेतु आवश्यक जानकारी का पत्रक

1. आवेदिका की समग्र आई.डी. ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐
2. आधार नंबर ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐
3. आवेदिका का नाम .....
4. आवेदिका के पति / पिता का नाम .....
5. जन्मतिथि - दिनांक ☐☐ माह ☐☐ वर्ष ☐☐☐☐
6. आवेदिका का पता .....
   ग्राम / शहर (वार्ड) .....जिला .....पिनकोड ☐☐☐☐☐☐
7. आवेदिका का मोबाईल नं. ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐
8. वर्ग (✔ लगाये) - सामान्य ☐ अ.जा. ☐ अ.ज.जा. ☐ अ.पि.व. ☐
9. क्या शासन से विधवा / नि:शक्त इत्यादि पेंशन प्राप्त कर रहे है - (✔ लगाये) हॉ ☐ नही ☐
10. विवाह की स्थिति (✔ लगाये) - विवाहित ☐ तलाकशुदा ☐ विधवा ☐ परित्यक्ता ☐

### आवेदिका द्वारा की गई घोषणा

- मैं घोषणा करती हूँ कि (✔ लगाये) -

☐ मेरे परिवार की सम्मिलित रूप से वार्षिक आय 2.50 लाख रूपये से कम है।
☐ मैं स्वयं या मेरे परिवार का कोई भी सदस्य करदाता नही है।
☐ मैं स्वयं या मेरे परिवार का कोई भी सदस्य केन्द्र / राज्य सरकार के शासकीय विभाग / मंडल / उपक्रम / स्थानीय निकाय में नियमित / संविदा कर्मी के रूप में नियोजित नही है अथवा सेवानिवृत्ति के पश्चात् पेंशन प्राप्त नही कर रहे है।
☐ मेरे स्वंय या मेरे परिवार के किसी भी सदस्य के नाम से चार पहिया वाहन अथवा ट्रेक्टर नही है।
☐ मेरे परिवार के पास सम्मिलित रूप से 5 एकड़ से अधिक भूमि नही है।
☐ मुझे भारत सरकार / राज्य सरकार की किसी योजना में प्रतिमाह 1000 रूपये या अधिक राशि प्राप्त नही हो रही है।
☐ मैं स्वयं या मेरे परिवार में कोई सदस्य निर्वाचित एवं मनोनीत जनप्रतिनिधि (पंचायत के वार्ड पंच या उपसरपंच को छोडकर) नहीं है।
☐ मैं स्वयं या मेरे परिवार में कोई सदस्य भारत सरकार / राज्य सरकार द्वारा चयनित / मनोनित, बोर्ड / निगम / मंडल / उपक्रम के अध्यक्ष / संचालक / सदस्य नही है।

- मैं एतद् द्वारा ये घोषणा करती हूं कि मुझे मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना-2023 पोर्टल एप पर आधार आधारित प्रमाणीकरण प्रणाली के साथ खुद को प्रमाणित करने और आधार आधारित प्रमाणीकरण के बाद अपना आधार नंबर, बायोमेट्रिक या वन-टाइम पिन (ओटीपी) डेटा प्रदान करने की सहमति देने में कोई आपत्ति नहीं है। मै यह भी सहमति देती हूँ कि मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना-2023 मेरी पहचान स्थापित करने और प्रमाणित करने के लिए मेरे आधार नंबर का उपयोग कर सकता है। मैं एतद् द्वारा केवल सरकारी सेवाओं और / या सरकारी योजना के लाभों को प्राप्त करने के उद्देश्य से अन्य राज्य या केंद्र सरकार के विभागों के साथ अपने आधार ई-केवाईसी विवरण साझा करने की सहमति देती हूं।

(आवेदिका के हस्ताक्षर)

नोट-
1. उक्त प्रपत्र मात्र ऑनलाईन प्रविष्टि हेतु जानकारी एकत्रित करने के लिए है।
2. आवेदन ऑनलाईन सफलता पूर्वक दर्ज होने के पश्चात् निम्न पावती दी जायेगी तथा आपको SMS / व्हाट्स एप के द्वारा भी भेजी जायेगी।

आवेदन की ऑनलाईन प्रविष्टि के पश्चात् पावती फाड़ कर दी जाए-

(कार्यालयीन उपयोग हेतु)

## मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना – 2023

### आवेदन पत्र - पावती

☐ (क) मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना-2023 अंतर्गत आपका आवेदन ऑनलाइन सफलतापूर्वक दर्ज कर लिया गया है।

1. आपका ऑनलाईन पंजीयन क्रं. ..... एवं आवेदन दिनांक ...../...../..... है।
2. आवेदिका का नाम ..... 3. पति / पिता का नाम ..... है।
4. आपके द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर निम्नानुसार स्थितियाँ पाई गई -
   - आपका आधार बैंक अकाउंट से लिंक है - हॉ ☐ नही ☐ (नही होने पर बैंक शाखा में जाकर आधार बैंक से लिंक कराये)
   - आपका बैंक अकाउंट DBT Enable है - हॉ ☐ नही ☐ (नही होने पर बैंक शाखा में जाकर डी.बी.टी. इनेबल कराये)

उक्त कार्यवाही पूर्ण किये जाने एवं पात्रता होने पर ही आपके स्वयं के आधार लिंक DBT Enable खाते में राशि प्राप्त होगी।
नोट :- यह मात्र आवेदन की पावती है। आवेदन परीक्षण उपरांत पात्र आवेदिका होने की दशा में ही योजना अंतर्गत लाभान्वित किया जा सकेगा।

☐ (ख) निम्न कारणों से आवेदन ग्राह्य नही किया गया हैं -

☐ अविवाहित होने से
☐ आयु 23 से 60 वर्ष के मध्य न होने से
☐ समग्र में आधार e-KYC न होने से (e-KYC पूर्ण करायें एवं पुन: आवेदन करें।)

(जारीकर्ता के हस्ताक्षर एवं सील)

(योजना से संबंधित जानकारी हेल्पलाइन नंबर 0755-2700800 एवं वेबसाइट www.cmladlibahna.mp.gov.in से प्राप्त की जा सकती है।)

# हितग्राही को राशि का भुगतान

पात्र हितग्राही को राशि का भुगतान उनके आधार लिंक्ड डीबीटी इनेबल्ड बैंक खाते में किया जायेगा।

# विभाग से अपेक्षा

| 01 | 02 | 03 | 04 |
| --- | --- | --- | --- |
| योजना एवम जारी निर्देशो का ध्यान से अध्ययन | हितग्राहियों की सम्भावित संख्या देखते हुए camp की micro planning. | प्रशिक्षण | Aadhaar-SAMAGRA-BANK सम्बंधित मामलो के निपटारे हेतु विस्तृत कार्य योजना |

# पात्र महिलाओ के फॉर्म (आवेदन पत्र) भरवाना

आवेदन पत्र की छपाई- DPO को आवंटन

आवेदन पत्र ग्राम पंचायत/ वार्ड कार्यालयों में उपलब्ध कराना

आवेदन करने हेतु स्थल एवं सहयोगी

# कैंप का आयोजन

## कैंप आयोजन का स्वरूप

- प्रत्येक ग्राम/ शहरी वार्ड में
- बड़े ग्रामो / वार्डो में एक से अधिक स्थल पर भी कैंप
- 30 अप्रैल तक पोर्टल/ app में प्रविष्ट सुनिश्चित
- कैम्प अवधि पर्याप्त हो -बिना भीड़-भाड़ के सभी
- आवश्यकता अनुसार 2-3 चरणों में कैंप

## कैंप के आयोजन की सूक्ष्म कार्ययोजना

- कैंप के आयोजन की तिथि, समय, स्थान की स्पष्ट जानकारी
- कैम्प में उपस्थित होने वाले अधिकारी का नाम,
- कैंप प्रभारी एवं अन्य सहयोगी कर्मचारियों के नाम, पदनाम, विभाग का नाम आदि विवरण
- कैंप की सूचना कैंप स्थल पर एवं नजदीकी आंगनवाड़ी केंद्र पर कार्यकर्ता को सूचित करते हुए चस्पा
- संभावित आवेदिकाओं को सूचना

# कैम्प का आयोजन

## कैम्प में इन्टरनेट कनेक्टिविटी एवं आवश्यक तकनीकी संसाधनों की व्यवस्था

- बायोमेट्रिक डिवाइस
- लैपटॉप/डेस्कटॉप/ LBY app युक्त मोबाइल डिवाइस / टैब्लेट
- यूपीएस (Data Back-up Support),
- वेब कैमरा

## कैम्प में "आवेदन हेतु आवश्यक जानकारी" के प्रपत्रों की पर्याप्त संख्या में उपलब्धता

## कैम्प में ड्यूटी हेतु विभिन्न विभागों के कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई जा सकती है।

## कैम्प हेतु अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं

- सूचना पट्टिकाएं,
- बैठने हेतु पर्याप्त व्यवस्था,
- आवश्यकतानुसार टेंट, पेयजल, मेडिसिन किट आदि की पर्याप्त व्यवस्था
- निर्बाध विद्युत आपूर्ति

# फार्म की पोर्टल/ app में प्रविष्टि

## फार्म की पोर्टल/ app में प्रविष्टि

- कैम्प प्रभारी द्वारा SAMAGRA के login credentials का उपयोग कर फॉर्म की प्रविष्टि की जाएगी
- सी ई ओ / आयुक्त / सी एम ओ एक कैम्प में एक से अधिक Login Credentials बना सकते है

## कैंप में महिला को स्वयं उपस्थित होकर अपना फार्म कैंप प्रभारी के माध्यम से प्रविष्टि करानी होगी

## कैम्प प्रभारी द्वारा महिला की लाइव फोटो आवेदन प्रविष्टि के दौरान कैप्चर की जाएगी

## आवेदन के दौरान SAMAGRA में e-KYC न होने की स्थिति में –

- SAMAGRA में e-kyc न होने पर यथासंभव बायोमेट्रिक डिवाइस से ही e-kyc कराया जाये।
- विशेष परिस्थिति में ही ओटीपी के माध्यम से e-kyc किया जाये ।
- समग्र में e-KYC Status update होने में 24 घण्टे या उससे अधिक समय संभावित होता है

# फार्म की पोर्टल/ app में प्रविष्टि

## आवेदन के ऑनलाइन प्रविष्टि उपरांत पावती प्रदाय

- फॉर्म की जानकारी के app/ पोर्टल में दर्ज हो जाने के पश्चात ही प्री प्रिंटेड फॉर्म की पावती प्रदाय की जाए
- पावती में -ऑनलाइन प्रविष्ट फॉर्म का आवेदन क्रमांक तथा अन्य आवश्यक जानकारी
- ऑनलाइन पावती portal के माध्यम से भी हितग्राही को WhatsApp/SMS से भेजी जाएगी

## निम्न कारणो से उपस्थित महिला का आवेदन पोर्टल/ऐप में प्रविष्टि हेतु ग्राह नहीं किया जाएगा एवं मूलत: वापस किया जाएगा

- पात्रता आयु में ना होने
- अविवाहित होने
- समग्र में ई केवायसी न होने पर

# कैंप प्रभारियों और सहयोगियों का प्रशिक्षण

राज्य स्तर से 10 मास्टर ट्रेनर को ऑनलाइन प्रशिक्षण- 3 मार्च को

प्रशिक्षित मास्टर ट्रेनरों के माध्यम से कैंप के आयोजन पूर्व कैंप प्रभारी सहित कैंप से सम्बद्ध समस्त कर्मचारियों को कैंप आयोजन से पूर्व, विस्तृत प्रशिक्षण

प्रशिक्षण में "आवेदन हेतु आवश्यक जानकारी का फॉर्म'' भरने,आवेदक द्वारा प्रस्तुत फॉर्म की app /पोर्टल में प्रविष्टि करने ,पावती देने इत्यादि गतिविधियों विस्तृत प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा

प्रशिक्षण हेतु USER MANUAL राज्य स्तर से उपलब्ध कराया जाएगा

प्रशिक्षकों द्वारा प्रशिक्षण पूर्व से पर्याप्त रूप से योजना के 'USER MANUAL' का भली भांति अध्ययन किया जाये।

# योजना लाभ हेतु हितग्राहियों की पूर्व तैयारी में सहयोग

## कैम्प के पूर्व हितग्राहियों को योजना के लाभ लेने हेतु निम्नानुसार तैयार किया जाए-

- AADHAR एनरोलमेंट एवं AADHAAR में जानकारी अद्यतन
- SAMAGRA में e-KYC
- MPONLINE /CSC किओस्क पर e-KYC निशुल्क
- SAMAGRA एवं AADHAAR में हितग्राही की जानकारी में मेल होना चाहिए,
- मिलान नहीं होने पर जानकारी के शीघ्र संशोधन के लिए ग्राम सचिव/वार्ड प्रभारी सहयोग करेंगे।

## समस्त पात्र महिलाओं के स्वयं का आधार से लिंक्ड एवं DBT इनेबल्ड बैंक खाता होना आवश्यक है

- बैंक खाते को आधार से लिंक, सत्यापित एवं DBT इनेबल्ड महिला के द्वारा बैंक जाकर ही कराया जा सकता है, इस हेतु महिलाओं को प्रेरित करना
- जिनके स्वयं के बैंक खाते नहीं हैं, अथवा DBT इनेबल्ड नहीं हैं, उनके बैंक खाते आधार लिंक्ड DBT इनेबल्ड करवाने हेतु आवेदन भरने में सहयोग हेतु मैदानी अमले को निर्देशित
- यह आवेदन फॉर्म बैंक से प्राप्त कर पूर्व से आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ग्राम सचिव/वार्ड प्रभारी को उपलब्ध करा दिये जाएँ।
- जिले में DLCC की बैठक आयोजित कर सुनिश्चित करें कि सभी बैंक उक्त कार्य हेतु संवेदनशील हों ।

# प्रचार-प्रसार

सोशियल मीडिया का innovative उपयोग

कोई भी पात्र हितग्राही योजना में लाभान्वित होने से वंचित न रहे, कैंप डेट्स की जानकारी

app / portal में एंट्री हेतु आवश्यक कार्यवाही (pre requisites )

# कैम्प के पश्चात् की कार्यवाहियाँ

## अनंतिम सूचियों का प्रकाशन –

- फॉर्मों की App/Portal पर प्रविष्टि हेतु आमंत्रित कैम्पों की अंतिम तिथि के पश्चात् आवेदकों की अनंतिम सूची, पोर्टल/ ऐप पर प्रदर्शित की जायेगी,
- प्रदर्शित अनंतिम सूची का प्रिंट आउट संबन्धित ग्राम पंचायत/वार्ड कार्यालय के सूचना पटल पर भी चस्पा किया जायेगा।

## आपत्तियों को प्राप्त किया जाना –

- प्रदर्शित अनंतिम सूची पर 15 दिवस तक आपत्तियॉ पोर्टल/ऐप के माध्यम से प्राप्त की जायेगी।
- पंचायत सचिव/ वार्ड प्रभारी को लिखित अथवा सीएम हेल्पलाईन 181 के माध्यम से भी आपत्ति दी जा सकेगी।
- प्राप्त आपत्तियों को पंचायत सचिव/वार्ड प्रभारी द्वारा सम्बंधित महिला आवेदक की प्रविष्टी के विरूद्ध पोर्टल/ ऐप पर दर्ज किया जायेगा।
- आपत्तियॉ लिखित (ऑफलाइन) प्राप्त हुयी हैं उनके सम्बंध में अग्रिम कार्यवाही पंजी में संधारित की जाकर 3 दिन के अंदर ऑनलाइन अपलोड की जायेगी।

# आपत्ति निराकरण समिति – स्वरूप

## ग्राम पंचायत स्तर

- ग्रामीण क्षेत्र की आपत्तियों के निराकरण हेतु मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत, क्षेत्र का नायब तहसीलदार एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी की समिति होगी।

## नगर परिषद एवं नगर पालिका स्तर

- नगर परिषद एवं नगर पालिका क्षेत्र की आपत्तियों के निराकरण हेतु तहसीलदार सीएमओं एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी की समिति होगी।

## नगर निगम स्तर

- नगर निगम क्षेत्र की आपत्तियों के निराकरण हेतु आयुक्त नगर निगम, परियोजना अधिकारी शहरी विकास अभिकरण एवं जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास की समिति होगी।

# आपत्तियों की जॉच एवं अंतिम सूची जारी किया जाना

आवेदन पर आपत्ति की जॉच एवं निराकरण 15 दिवस में समिति द्वारा किया जायेगा। समिति केवल उन्हीं प्रकरणों पर विचार करेंगी जिसमें आपत्ति प्राप्त हुई हैं।

अतिरिक्तप्राप्त आवेदनों का रैण्डम चयन राज्य स्तर पर किया जाकर उनकी पात्रता सम्बंधी विशेष जांच पृथक से की जावेगी। इस प्रकार चयनित आवेदनों की सूची आवेदनों की प्रविष्टि पूर्ण होने पर भेजी जावेगी।

समस्त आपत्तियों के समय सीमा में परीक्षण उपरांत पात्र हितग्राहियों की अंतिम सूची निर्धारित निराकरण समिति से स्वीकृत प्राप्त कर पोर्टल/ ऐप पर ही प्रदर्शित की जायेगी

जारी सूची अनुसार संबन्धित ग्राम पंचायत/वार्ड कार्यालय में प्रिंट आउट निकाल कर चस्पा किया जायेगा।

अपात्र हितग्राहियों की सूची भी पृथक से पोर्टल/ऐप पर प्रदर्शित की जायेगी।

# योजना की निगरानी एवं समीक्षा

## नियमित परीक्षण एवं सत्यापन –

- भविष्य में किसी पात्र हितग्राही के सम्बंध में कोई आपत्ति प्राप्त होती है तो उसकी जॉच आपत्ति निराकरण समिति द्वारा की जायेगी।
- जॉच में अपात्र होने की दशा में सम्बंधित हितग्राही का नाम सूची से विलोपनयोग्य होने की सूचना उसे दी जाकर अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जायेगा।
- आपत्ति सही पाये जाने पर ग्राम पंचायत सचिव/ वार्ड प्रभारी द्वारा सम्बंधित हितग्राही का नाम विलोपित किया जा सकेगा।

## जिला स्तर पर समीक्षा एवं निगरानी–

- जिला स्तर पर कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित समिति, जिसमें मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, आयुक्त नगर निगम, संयुक्त संचालक नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग अथवा उनके प्रतिनिधि, जिला ई-गवर्नेंस मैनेजर सदस्य होंगे तथा जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास सदस्य सचिव रहेंगे, योजना के सघन क्रियान्वयन हेतु सतत समीक्षा करेगी।

# धन्यवाद